आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।
1	2	3
22.09.2017	**न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णियाँ** विविध अपील वाद संख्या-77/2008 1. श्री मुरलीधर मिश्रा, पिता-स्व0 ध्रुव नारायण मिश्रा, सा0-चोपड़ा बाजार, थाना-जानकीनगर, जिला-पूर्णियाँ। .....- अपीलार्थी बनाम 1. बिहार राज्य। 2. मनोज राम, पिता-बिन्देश्वरी राम, तत्कालीन सरपंच, ग्रामकचहरी-रामनगरफरसाही। 3. रमेश मण्डल, कल्याण पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी, बनमनखी। 4. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बनमनखी। 5. हरिनन्दन यादव, पिता-बलदेव यादव, सा0-पिपड़ा, थाना-बनमनखी, जिला-पूर्णियाँ। .....- उत्तरवादीगण **आ दे श** प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, बनमनखी के विविध वाद सं0-06/2008-09 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। ग्रामकचहरी-रामनगरफरसाही मिलिक में चयनित न्यायमित्र का चयन रद्द कर पुनः पुरूष अभ्यर्थियों का काउन्सिलिंग कर चयन करने तथा सरपंच, पंचायत सचिव एवं नोडल पदाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का आदेश निम्न न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत नहीं है। बिहार ग्रामकचहरी न्यायमित्र नियमावली-2007 की धारा-12 अंतर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी को अपील सुनने की शक्ति प्राप्त नहीं है। अपीलार्थी का आगे कहना है कि उत्तरवादी सं0-05 दिनांक 25.09.2007 को आयोजित काउन्सिलिंग में उपस्थित नहीं हुए थे। उक्त तिथि को दो महिला अभ्यर्थी एवं अपीलार्थी द्वारा काउन्सिलिंग में उपस्थिति दी गई थी। उपस्थित दोनो महिला में से	

एक महिला पूर्णियाँ जिला के बाहर की पाई गई तथा दूसरी महिला का नियोजन दूसरे पंचायत में हो जाने के कारण महिला अभ्यर्थी का चयन नहीं किया गया तथा नियम-4(सी) के तहत् अपीलार्थी का चयन किया गया। इन सारे तथ्यों की अनदेखी कर निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध आदेश पारित कर दिया गया, जो सरासर गलत है। अतएव माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायलय के आदेश को खारिज किया जाय।

निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। प्रश्नगत ग्रामपंचायत अंतर्गत न्यायमित्र का पद अनारक्षित महिला से संबंधित है। ग्राम पंचायत द्वारा न्यायमित्र के चयन के लिए महिला अभ्यर्थियों से आवेदन की मांग की गई, जिसके आलोक में छः महिलाओं का मेधा सूची तैयार किया गया। परन्तु काउन्सिलिंग में एक भी महिला अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई और अपीलार्थी (पुरूष) का चयन अनारक्षित महिला पद के विरूद्ध कर दिया गया। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि 08 पुरूष अभ्यर्थी द्वारा भी आवेदन दिया गया था, जिसकी सूची में अपीलार्थी का नाम क्रमांक 01 पर है, जिसे अवैध सूची बताया गया है। अपीलार्थी का यह तर्क है कि महिला अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण उनका चयन किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रश्नगत पंचायत में न्यायमित्र का पद महिला अनारक्षित था जहां महिला अभ्यर्थी का ही चयन होना था। इस संबंध में उक्त ग्रामपंचायत के सरपंच द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बनमनखी से मार्गदर्शन भी प्राप्त किया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बनमनखी ने अपने पत्रांक 2254 दिनांक 28.11.2007 द्वारा सरपंच को निदेश दिया है कि महिला अभ्यर्थी नहीं मिलने पर प्रावधानों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई करें। परन्तु ग्रामपंचायत द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया। इसप्रकार यदि महिला अभ्यर्थी का चयन नहीं हो पाया तो ऐसी स्थिति में पुनः सूचना प्रकाशित कर प्रावधानों के अनुरूप पुरूष अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर चयन की कार्रवाई की जानी चाहिए थी। निम्न न्यायालय के अभिलेख में श्री रमेश प्रसाद मण्डल, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, बनमनखी-सह-नोडल पदाधिकारी का प्रतिवेदन

दिनांक 10.04.2008 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त पंचायत में महिला अभ्यर्थी का चयन किया गया था। परन्तु उनके द्वारा योगदान नहीं किया गया। नोडल पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि दोवारा चयन की जानकारी उन्हें नहीं है। इस प्रकार अपीलार्थी के चयन में नोडल पदाधिकारी उपस्थित नहीं थे। पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आलोक में तैयार की गई सूची, जिसे अवैध करार दिया गया तथा पुनः उसी सूची से अपीलार्थी जो पुरूष वर्ग से हैं का चयन कर लिया गया, जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार निम्न न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तद्नुसार अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बनमनखी को निदेश दिया जाता है कि बिहार ग्रामकचहरी न्यायमित्र नियोजन सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य नियमावली-2007 एवं तत्संबंधी संगत प्रावधानों के तहत् अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुमण्डल पदाधिकारी, बनमनखी को भी प्रेषित करें।

इस निर्णय के साथ ही वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णियाँ।

समाहर्त्ता,
पूर्णियाँ।